"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल 2009—चैत्र 20, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2009

क्रमांक ई-1-22/2005/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2-1-2006 के द्वारा निम्नलिखित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान (रु. 18400-500-22400) में पदोन्नति प्रदाय की गई थी :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	तत्कालीन पदस्थापना (दि. 1-1-2006 की स्थिति में)	वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री एस. के. पाठक, (1990)	सचिव, महामहिम राज्यपाल, आयुक्त, भू-अभिलेख.	भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर (Head, Public Private Partnership

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

(1)	(2)	(3)	(4)
			Initiative, Infrastucture Development Finance Company Ltd. New Delhi).
2.	श्री आर. पी. जैन, (1990)	विशेष सचिव, गृह विभाग	सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग

2. अत: एतद्द्वारा उक्त आदेश के अनुक्रम में अधिसमय वेतनमान का लाभ दिनांक 1-1-2006 से देय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2009

क्रमांक 288/193/2009/1-8/स्था.—श्री आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 24-2-2009 से 28-2-2009 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 1-1-2009 से 5-1-2009 तक 05 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. गुप्ता को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षेत्र सिंह, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2009

क्रमांक 258/154/2009/1-8/स्था.—डॉ. सुरेन्द्र दुबे, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, संस्कृति विभाग को दिनांक 1-4-2009 से 30-4-2009 तक 30 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए विदेश (यू. एस. ए.) प्रवास की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. सुरेन्द्र दुबे को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, संस्कृति विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. सुरेन्द्र दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, संस्कृति विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2009

क्रमांक 787/159/2009/1-8/स्था.—श्री के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 16-3-2009 से 20-3-2009 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृति करते हुए दिनांक 14, 15, 21 एवं 22-3-2009 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री के. आर. मिश्रा के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री के. के. ब्राजपेयी, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री के. आर. मिश्रा को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. आर. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2009

क्रमांक 276/123/2009/1-8/स्था.—श्री डी. के. माथुर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 2-3-2009 से 7-3-2009 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. माथुर को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जो के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2009

क्रमांक 278/1185/2009/1-8/स्था.—श्री एस. बी. काले, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 1-1-2009 से 7-1-2009 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. काले को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. बी. काले अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2009

क्रमांक 282/172/2009/1-8/स्था.—श्री जे. एस. दीक्षित, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 18-2-2009 से 3-3-2009 तक 14 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जे. एस. दीक्षित को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. एस. दीक्षित अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2009

क्रमांक 284/204/2009/1-8/स्था.—श्री के. के. बाजपेयी, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य, प्रशासन विभाग को दिनांक 27-3-2009 से 2-4-2009 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये दिनांक 3-4-2009 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री के. के. बाजपेयी के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री के. के. बाजपेयी को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. बाजपेयी अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

क्रमांक एफ 1-5/2008/(6)52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) के तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **नियम का संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**

(1) ये नियम "छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) के तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2008" कहलायेंगे.

(2) ये छत्तीसगढ़ राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, :—

(क) सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, रेशम प्रभाग का संचालक,

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है, भर्ती के लिए बनी चयन/पदोन्नति समिति,

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अंतर्गत सेवा में भर्ती के लिये ली गई प्रतियोगी परीक्षा,

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन,

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल,

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची,

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति,

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, तारीख 26-12-1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग,

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) के तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा,

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **विस्तार तथा प्रवृत्ति :—** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में दिये गये उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन :—** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) इन नियमों को लागू करते समय अनुसूची-एक में उल्लेखित पदों को मौलिक रूप से या स्थानापन्न की हैसियत से धारण करने वाले व्यक्ति,

(2) इन नियमों के लागू होने से पूर्व सेवा में भर्ती किए व्यक्ति, और

(3) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए व्यक्ति.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि :—** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उसके लिये वेतनमान तथा इससे संलग्न अनुसूची-एक में दिये गये उपबन्धों के अनुसार होगी.

परंतु शासन नियम में शामिल पदों की संख्या में, समय-समय पर स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा.

6. **भरती का तरीका :—**

(1) इन नियमों के लागू होने के बाद सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भर्ती से प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा,

(ख) अनुसूची-चार के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा,

(ग) अनुसूची-दो में उल्लेखित अनुसार निर्दिष्ट सेवाओं में निर्दिष्ट पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा.

(2) उप नियम (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय अनुसूची-एक में उल्लेखित कर्त्तव्य पदों की संख्या के साथ अनुसूची-दो में बताये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(3) इन नियमों के उपबंधों के अधीन, भर्ती की किसी भी विशेष अवधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा के किसी भी विशेष पद या पदों के भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती

किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति के परामर्श से निश्चित की जायेगी.

(4) उपनियम (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की आवश्यकता को देखते हुए आवश्यक होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती संबंधी उन तरीकों को छोड़, जिनका उक्त नियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य तरीके को अपना सकेगा, जो शासन द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेश द्वारा निर्धारित किये जायें.

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन के लिए, शासन द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये जा सकेंगे तथापि नियुक्ति अधिकारी द्वारा इस हेतु एक चयन समिति गठित किया जाना आवश्यक होगा, जो इस मापदण्डों के अन्यथा अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेंगे.

(6) भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देश भी लागू होंगे.

7. **सेवा में नियुक्ति :—** इस नियमों के लागू होने के बाद सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में उल्लिखित भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के बाद ही की जायेगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती की पात्रता संबंधी शर्तें :—** परीक्षा में प्रतियोगिता/चयन किए जाने के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिये, अर्थात् :—

(1) **आयु :—**

(क) परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के बाद आने वाली पहली जनवरी को उसने अपनी आयु के उतने वर्ष पूरे कर लिये हों जितने की अनुसूची-तीन के कॉलम (5) में उल्लिखित है, किंतु उतने वर्ष पूरे न किये हों जितने कि उक्त अनुसूची के कॉलम 6 में उल्लिखित है.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो आयु की अधिकतम सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी.

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

टिप्पणी :— शासकीय सेवा में उच्चतर आयु सीमा में दी जाने वाली अधिकतम छूट एक या अधिक अन्य कारणों से दी जाने वाली छूट के पश्चात् 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(घ) उन अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा कर्मचारी रह चुके हों, निम्नलिखित सीमा तक तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट दी जावेगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय सेवक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए,

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) जो अभ्यर्थी, छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की अवधि, भले ही वह अवधि एक से

अधिक बार की सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "छटनी किए गए शासकीय कर्मचारी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य की अथवा किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास तक निरंतर रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो.

(ङ) जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से पूर्व में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुमति दी जायेगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तातर्प्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की निरंतर सेवा में रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करने अथवा शासकीय सेवा नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी कर दी गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो मस्टरिंग आउट कन्सेशन के अधीन निर्मुक्त किये गये हों,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
   (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर,

   (ख) भर्ती संबंधी शर्त पूर्ण हो जाने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी,

(4) अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जो संविदा पूरी होने पर सेवामुक्त किये गये हों. (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है)

(5) अवकाश रिक्तियां पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किये गये अधिकारी.

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो अविधिमान्यता के कारण सेवा से सेवामुक्त कर दिये गये हों,

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक नहीं बन सकेंगे.

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने तथा घाव हो जाने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में 2 (दो) वर्ष की छूट दी जाएगी.

(छ) आदिम, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग विकास विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पार्टनर को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 5 (पांच वर्ष) तक की छूट दी जाएगी.

(ज) शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीर चन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में 5 (पांच वर्ष) की छूट दी जावेगी.

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हो को अधिकतम आयु सीमा में 38 वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के अनायुक्त अधिकारियों को उनके द्वारा पूर्ण की गई सेवा की अवधि के पूर्ण वर्षों के बराबर अधिकतम आयु सीमा में 8 (आठ) वर्ष तक की छूट दी जाएगी, पर किसी भी दशा में आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(ट) नि:शक्त अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतम आयु सीमा में छूट राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार होगी.

टिप्पणी- (1) ऐसे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त नियम 8 के उपनियम (1) के उपखंड (घ) में आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाये गये हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं. तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी की गई हो, तो वे पात्र बने रहेंगे.

टिप्पणी- (2) (i) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी,
(ii) विभागीय अभ्यर्थी को चयन के लिये उपसंजात होने के लिए अपने नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी.

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे.

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं :**—उनके पास सेवा के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जो कि अनुसूची-तीन में दर्शायी गई है.

(3) **फीस :**— अभ्यर्थी को संचालक द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता :**— अभ्यर्थियों की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु किन्हीं भी साधनों से किया गया कोई भी प्रयास परीक्षा/चयन में उपस्थिति के लिए संचालक द्वारा निरर्हित ठहराया जा सकेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा :**—परीक्षा में चयन के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्य बात के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र न दिया हो.

11. **चयन/प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :**—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति गठित की जावेगी, इसमें 3 सदस्य होंगे, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति का गठन अनुसूची-चार के कॉलम (6) में दर्शाये अनुसार की जावेगी.

(एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जावेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी सरकार के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे.

(दो) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर, जारी किये गये निर्देशों के अनुसार चयन समिति द्वारा ली जावेगी.

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती :**—

(1) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जावेगी, जैसा कि ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) समय-समय पर अवधारित करे.

(2) चयन समिति द्वारा सेवा में अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार के पश्चात् किया जायेगा.

(3) चयन समिति नियुक्ति अधिकारी द्वारा समय-समय पर गठित की जायेगी.

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा.

(5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(6) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये योग्य घोषित किया गया हो, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(7) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे.

(8) ऐसे मामलों में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्त अधिकारी की राय में यह पाया जाये, कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है वहां नियुक्त प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

(9) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षण रहेगा.

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या (अग्रीनत रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए) विज्ञापित की गई कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची :—**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित्त नहीं है फिर् भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किये गये हैं, तैयार करेगा, सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हैं.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने संबंधी तथ्य ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी जांच करने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :—**

(1) पात्र अभ्यर्थियों को पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य होंगे.

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में की जायेगी जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी.

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण होगा. पदोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्तियों की 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत रिक्तियां क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जायेगी जो नियम 14 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति के लिये पात्र हों.

14. **पदोन्नति/स्थानांतरण के लिये पात्रता संबंधी शर्तें :—**

(1) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को, इससे संलग्न प्रथम अनुसूची-चार के कॉलम (3) में उल्लिखित पद/सेवा पर या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी ने उनके समतुल्य घोषित किया है, उतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो जो अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है.

स्पष्टीकरण :— (1) परंतु यह और कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमान्यता देकर चयन श्रेणी/पदोन्नति करने के लिए केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जावेगा कि उसने विहित सेवा की कालावधि पूर्ण कर ली है.

(2) चयन का क्षेत्र "योग्यता नहीं वरिष्ठता के आधार पर" भरे जाने वाले पदों के मामले में चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या के सामान्यतः सात गुना तक और वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले पदों के मामले में चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या के पांच गुने तक सीमित होगा.

परंतु यदि इस प्रकार अवधारित क्षेत्र में पदोन्नति के लिए उपयुक्त कर्मचारी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हो तो समिति, क्षेत्र को उस सीमा तक, जहां तक कि यह आवश्यक समझे लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए बढ़ा सकेगी.

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना :—**

(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपरोक्त नियम 14 में निर्धारित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए उपयुक्त समझा गया हो. सूची में उतने नाम सम्मिलित किये जायेंगे, जितने चयन सूची बनाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण रिक्त स्थान सम्भावित हों. उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनुपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए एक सूची भी तैयार की जायेगी.

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी.

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची के तैयारी के समय सूची में सम्मिलित अधिकारियों के नाम, अनुसूची-चार के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम से रखे जाएंगे.

स्पष्टीकरण :— ऐसे व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

16. **चयन सूची :—**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई अनुसूची-चार के कॉलम तीन में दर्शाये गये पदों से अनुसूची-चार के कॉलम पांच में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(2) जिस कलेण्डर वर्ष में पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार की जावेगी उसकी विधिमान्यता उस कलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक मान्य रहेगी.

परंतु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि समिति उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा.

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :—**

(1) सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी.

(2) साधारणत: उस व्यक्ति की जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की अवधि में उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाये जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो.

18. **परिवीक्षा/परीक्षण :—** परीक्षण सेवा में सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा/परीक्षण पर नियुक्त किया जाएगा.

19. **निर्वचन :—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा.

20. **शिथिलीकरण :—** इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह राज्यपाल की किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से, जो उसे उचित तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होता हो, कार्यवाही करने की शक्ति को, सीमित या कम करती है.

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

21. **व्यावृत्ति :—** इन नियमों में की गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर, इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण तथा शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

22. **निरसन और व्यावृत्ति :—** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारम्भ होने के ठीक पहले लागू सभी नियम इसके द्वारा, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)

(वर्गीकरण, वेतनमान और पदों की संख्या)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	फील्ड आफिसर	65	छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग (रेशम प्रभाग) तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) सेवा	5500-175-9000	
2.	वरिष्ठ रेशम निरीक्षक	42	—,,—	4500-125-7000	
3.	कनिष्ठ रेशम निरीक्षक	60	—,,—	4000-100-6000	
4.	डिमांस्ट्रेटर (प्रदर्शक)	38	—,,—	3500-80-4700-100-5200	
5.	वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक	01	—,,—	5000-150-8000	
6.	फिल्डमेन	137	—,,—	3050-75-3950-80-4590	
7.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	05	—,,—	5500-175-9000	
8.	फील्ड इन्वेस्टीगेटर	06	—,,—	4500-125-7000	
9.	मेकेनिक	01	—,,—	3050-75-3950-80-4590	
10.	डाटा एंट्री आपरेटर	02	—,,—	3050-75-3950-80-4590	
11.	वाहन चालक	14	—,,—	3050-75-3950-80-4590	
12.	अधीक्षक	01	छत्तीसगढ़ (रेशम प्रभाग) तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा	5500-175-9000	
13.	सहायक लेखा अधिकारी	01	—,,—	5000-150-8000	संचालनालय.कोष एवं लेखा से प्रति-नियुक्ति से
14.	स्टेनोग्राफर-ग्रेड-2	01	—,,—	5500-175-9000	
15.	सहायक अधीक्षक	06	—,,—	4500-125-7000	
16.	सहायक ग्रेड-1	02	—,,—	4500-125-7000	
17.	लेखापाल (ग्रेड-2)	01	—,,—	4000-100-6000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	सहायक ग्रेड-2	30	—,,—	4000-100-6000	इस पद के विरुद्ध 6 लेखापाल ग्रेड-2 कार्यरत हैं.
19.	सहायक ग्रेड-3	56	—,,—	3050-75-3950-80-4590	
20.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	02	—,,—	4500-125-7000	
21.	स्टेनोटाइपिस्ट	01	—,,—	3050-75-3950-80-4590 +125 PP.	

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	स. क्र.	सेवा में पदों का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
					सीधी भर्ती द्वारा	सेवा में मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवा से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ग्रामोद्योग विभाग	छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग (रेशम प्रभाग) तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) सेवा	1.	फील्ड आफिसर	65	30%	70%	-	
—तदैव—	—तदैव—	2.	वरिष्ठ रेशम निरीक्षक	42	-	100%	-	
—तदैव—	—तदैव—	3.	कनिष्ठ रेशम निरीक्षक	60	70%	30%	-	
—तदैव—	—तदैव—	4.	डिमांस्ट्रेटर (प्रदर्शक)	38	-	100%	-	
—तदैव—	—तदैव—	5.	वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक	01	-	-	-	सांख्येत्तर
—तदैव—	—तदैव—	6.	फिल्डमेन	137	30%	70%	-	
—तदैव—	—तदैव—	7.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	05	-	100%	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ग्रामोद्योग विभाग	छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग (रेशम प्रभाग) तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) सेवा	8.	फील्ड इन्वेस्टीगेटर	06	100%	-	-	
—तदैव—	—तदैव—	9.	डाटा एंट्री आपरेटर	02	100%	-	-	
—तदैव—	—तदैव—	10.	वाहन चालक	14	100%	-	-	
—तदैव—	—तदैव—	11.	मेकेनिक	01	-	-	-	मृत संवर्ग
—तदैव—	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)	12.	अधीक्षक	01	-	100%	-	
—तदैव—	—तदैव—	13.	सहायक लेखा अधिकारी	01	-	-	100%	
—तदैव—	—तदैव—	14.	सहायक अधीक्षक	06	-	100%	-	
—तदैव—	—तदैव—	15.	स्टेनोग्राफर-ग्रेड-2	01	-	100%	-	
—तदैव—	—तदैव—	16.	स्टेनोग्राफर-ग्रेड-3	02	50%	50%	-	
—तदैव—	—तदैव—	17.	स्टेनोटाइपिस्ट	01	100%	-	-	
—तदैव—	—तदैव—	18.	सहायक ग्रेड-1	02	-	100%	-	
—तदैव—	—तदैव—	19.	लेखापाल ग्रेड-2	01	-	100%	-	
—तदैव—	—तदैव—	20.	सहायक ग्रेड-2	30	-	100%	-	
—तदैव—	—तदैव—	21.	सहायक ग्रेड-3	56	75%	25%	-	ये पद उन चतुर्थ श्रेणी के विभागीय कर्मचारियों से भरे जायेंगे जिन्होंने 5 वर्षो की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा हायर सेकेण्डरी, 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)

(सीधी भर्ती से भरे जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	स. क्र.	सेवा में पदों का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक योग्यता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्रामोद्योग विभाग	छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग (रेशम प्रभाग) तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) सेवा	1.	फील्ड आफिसर	18 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान (बी. एस. सी. जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान) में स्नातक उपाधि.	
—तदैव—	—तदैव—	2.	कनिष्ठ रेशम निरीक्षक	18 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान (बी. एस. सी. जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान) में स्नातक उपाधि.	
—तदैव—	—तदैव—	3.	फिल्डमैन	18 वर्ष	35 वर्ष	हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण.	
—तदैव—	—तदैव—	4.	फील्ड इन्वेस्टीगेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक उपाधि.	
—तदैव—	—तदैव—	5.	वाहन चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं भारी व हल्के वाहन चलाने का लायसेंस.	
—तदैव—	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा	6.	सहायक ग्रेड-3	18 वर्ष	35 वर्ष	उच्चतर माध्यमिक या 10+2 परीक्षा पद्धति के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या छत्तीसगढ़ सरकार की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण-पत्र.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्रामोद्योग विभाग	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा	7.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	18 वर्ष	35 वर्ष	हायर सेकेण्डरी या 10+2 परीक्षा पद्धति के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या छत्तीसगढ़ सरकार की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण-पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 10000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए.	
1	2	8.	स्टेनोटाइपिस्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	हायर सेकेण्डरी या 10+2 परीक्षा पद्धति के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या छत्तीसगढ़ सरकार की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण-पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 10000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए.	
—तदैव—	—तदैव—	9.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	हायर सेकेण्डरी या 10+2 परीक्षा पद्धति के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण-पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 8000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए.	

अनुसूची-चार

(नियम 14 एवं 15 देखिए)

विभाग का नाम	स. क्र.	उस सेवा/पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	पात्रता की कालावधि	उस सेवा/पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जावेगी	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यगण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		छत्तीसगढ़ रेशम उद्योग तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) सेवा			
ग्रामोद्योग विभाग	1.	वरिष्ठ रेशम निरीक्षक	5 वर्ष	फ़ील्ड ऑफिसर	(i) संयुक्त संचालक प्रशासनिक (रेशम) - अध्यक्ष (ii) उप संचालक प्रशासनिक (रेशम) - सदस्य (iii) उप संचालक (रेशम) - सदस्य (iv) संचालक द्वारा नामनिर्देशित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का एक प्रतिनिधि. - सदस्य
—तदैव—	2.	कनिष्ठ रेशम निरीक्षक	5 वर्ष	वरिष्ठ रेशम निरीक्षक	—तदैव—
—तदैव—	3.	डिमांस्ट्रेटर (प्रदर्शक)	5 वर्ष	कनिष्ठ रेशम निरीक्षक	—तदैव—
—तदैव—	4.	फ़ील्डमैन	5 वर्ष	डिमांस्ट्रेटर	—तदैव—
—तदैव—	5.	फील्ड-इन्वेस्टिगेटर	5 वर्ष	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	—तदैव—
—तदैव—	6.	आपरेट्विव (चतुर्थ श्रेणी)	5 वर्ष	फील्डमैन	—तदैव—
		छत्तीसगढ़ रेशम उद्योग तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा			
—तदैव—	7.	सहायक अधीक्षक/ सहायक ग्रेड-1	5 वर्ष	अधीक्षक	—तदैव—
—तदैव—	8.	लेखापाल ग्रेड-2	5 वर्ष	सहायक अधीक्षक/ सहायक ग्रेड-1	—तदैव—
—तदैव—	9.	सहायक ग्रेड-2	5 वर्ष	लेखापाल ग्रेड-2	—तदैव—
—तदैव—	10.	सहायक ग्रेड-3	5 वर्ष	सहायक ग्रेड-2	—तदैव—
—तदैव—	11.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	5 वर्ष	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	—तदैव—
—तदैव—	12.	भृत्य (चतुर्थ श्रेणी)	5 वर्ष	सहायक ग्रेड-3	—तदैव—
—तदैव—	13.	स्टेनोटायपिस्ट	5 वर्ष	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	—तदैव—

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

क्रमांक एफ-1-5/2008/(6)52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 1-5/2008/(6) 52, दिनांक 22-12-2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, सचिव.

Raipur, the 22nd December 2008

No. F-1-5/2008/(6) 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules, relating to the recruitment to the Directorate of Rural Industries (Sericulture Sector) Chhattisgarh, Class-III (Ministerial and Non-ministerial) Service, namely :—

RULES

1 **Short Title and commencement:-** (1) These rules may be called the Directorate of Rural Industries (Sericulture Sector) Chhattisgarh, Class –III (Ministerial and Non-ministerial) Service, Recruitment Rule, 2008.

(2) It shall come into force with effect from the date of publication in Chhattisgarh Gazette.

2. Definitions. **In these rules, unless the context otherwise requires,-**

(a) **"Appointing Authority"** in respect of the service means the Director of Sericulture;

(b) **"Committee"** means the selection/promotion committee for recruitment;-

(c) **"Examination"** means a competitive examination for recruitment to the services held under Rule-11 of these rules;

(d) **"Government"** means Government of Chhattisgarh;

(e) **"Governor"** means Governor of Chhattisgarh;

(f) **"Schedule"** means the Schedule appended to these rules;

(g) **"Scheduled Castes"** means the Scheduled Castes specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(h) **"Scheduled Tribes"** means the Scheduled Tribes specified in relation to the State under Article 342 of the Constitution of India;

(i) **"Other Backward Classes"** means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F 8-5-Twenty Five-4-84, dated the 26th December, 1984 as amended from time to time.

(j) **"Service"** means the Directorate of Rural Industries (Sericulture Sector) Chhattisgarh, Class –III (Ministerial and Non-ministerial) Service;

(k) **"State"** means State of Chhattisgarh;

3. **Scope and Application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattishgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every members of the service.

4. **Institution of the Service.-** The service shall consist of the following persons, namely :-

(1) Persons, who at the time of commencement of these rules, are holding substantively or in an officiating capacity the posts specified in schedule - I;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of Pay etc.-** The Classification of the service, the number of posts included in and the scale of pay attached there to shall be in accordance with the provision contained in schedule –I:

Provided that the Government may, form time to time, add to or reduce the number of posts included in rules, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.** –(1) Recruitment in the service, after the commencement of these rules shall be made by the following methods, namely;-

(a) By direct recruitment, by competitive examination;

(b) By promotion of members of the service, as specified in column (3) of schedule IV;

(c) By transfer of persons who hold in a substantive capacity, such posts, in such service as specified in schedule -II.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of Sub-Rule (1) shall not, at any time exceed the percentage shown in Schedule -II of the number of duty posts as specified in schedule - I.

(3) Subject to the provision of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by such method shall be determined, on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Selection Committee.

(4) Notwithstanding anything contained in Sub-Rule (1) if in the opinion of the Appointing Authority, exigencies of the service so require, the Appointing Authority may with prior concurrence of the General Administrative Department or Administrative Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf prescribed.

(5) For filling the posts by direct recruitment on the basis of merit, the selection criteria shall be fixed by Government and for this purpose a selection committee may be required to be constituted by Appointing Authority, who may adopt these criteria, otherwise other appropriate criteria with concurrence of the Government.

(6) At time of recruitment the provision of Chhattisgarh Public Service Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation Act, 1994 and the directions issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable.

7. **Appointment to the Service:** - All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection, one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility of Direct recruitment:** - In order to be eligible to competition/selection at the examination, a candidate must satisfy the following conditions, namely: -

(1) Age: - **(a)** He must have attained the age specified in column (5) of Schedule -III and not attained the age as specified in column (6), of the said Schedule on the 1st day of January, next following the date of commencement of the examination/selection;

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of five years, if a candidate belongs to a Scheduled Caste, a Scheduled Tribe or a Other Backward Classes;

(c) The upper age limit shall be relaxable up to five years to a women candidate of the Chhattisgarh Civil Service (Special provision for appointment of woman) Rule, 1997.

Note: The maximum relaxable for upper age limit shall not be more than 45 years after giving relaxable from one or more than one reasons in Government Service;

(d) The upper age limit will also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of Chhattisgarh Government to the extent and subject to the condition specified below: -

(i) A candidate who is a permanent/temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate holding a temporary post and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to contingency paid employees, work charged employees and employees working in the project Implementation Committee;

(iii) A candidate who is a retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 (Seven) years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years;

Explanation:- The term **"retrenched Government servant"** denotes a person, who was in temporary Government service of this state or in any of the constituent unit, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reductions in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him; provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.- The term **"ex-serviceman"** denotes person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service :-

(1) Ex-servicemen released under mustering out-concessions;

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on
(a) Completion of short-term engagement;
(b) Fulfilling the conditions of enrolment;

(3) Ex-employee of Madras unit;

(4) Officer (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officer),

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(6) Ex-servicemen invalidated out of service;

(7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(8) Ex-servicemen who are medically boarded out an account of gun shot, wounds etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to 2 (Two) years for those candidates who are holding green cards under Family Welfare Programme;

(g) The upper general upper age limit shall be relaxable up to 5 (Five) years in respect of the awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste marriage in contrive programme of the Tribal, Scheduled castes and Backward Classes welfare Department.

(h) The upper age limit shall be relaxable up to 5 (Five) years in respect of Shahid Rajiv Pandey award, Gundadhur Award, Maharaja Pravirchandra Bhanjadeo award, "National Award" holder candidates;

(i) The upper age limit shall be relaxable up to 38 years of age in respect of candidate who are employees of a Chhattisgarh State Corporation/Board;

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Gaurds and Non-Commissioned Officers of Home Gaurds for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 (Eight) years but in no case their age should exceed 38 years.

(k) The upper age limit shall be relaxable in the case of disabled candidates as per the instructions issued from time to time by the State Government;-

Note- (1) Candidates who are found eligible for selection under the age concessions mentioned in sub clause (d) of sub rule (1) of rule-8 above will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will, however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

Note- (2) (i) In no other case shall these age limits be relaxed,

(ii) Departmental candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear for the selection.

(l) In addition to above, instructions given by the general administrative department from time to time will be complied.

(2) **Educational Qualifications:-** He must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule – III.

(3) Fees. - The candidate must pay the prescribed fees by the Director.

9. Disqualification:- Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held for appearing in the examination / selection disqualify by the director.

10. Appointment Authority decision about the eligibility of candidates shall be final:- The decision of appointing authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and a candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be not attained to appear in the examination/interview.

11. Direct Recruitment by Selection/Competitive Examination:- (1) The selection committee consist of 3 members shall be constituted by Appointing Authority. A selection committee shall be constituted by the appointing authority as shown on column (6) of Scheduled IV.

(i) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals, as the Appointing Authority may, in consultation with the Government from time to time, determine.

(ii) The examination shall be conducted by selection committee as per directions issued by Appointing Authority from time to time.

(2) Direct Recruitment by selection:-(1) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Directorate of Rural Industries (Sericulture Sector) may determine from time to time.

(2) The selection of candidates for the service shall be made by the selection committee after interviewing them.

(3) The selection committee shall be constituted by Appointing Authority from time to time.

(4) In filling the posts of direct recruitment so reserved, persons who are belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as specified in clauses of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994).

(5) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in order in which their names appear in the list referred to rule (12) irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(6) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes recommended by the Committee for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of Administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(7)In filling the vacancies of direct recruitment, 30% posts shall be reserved in the favour of women candidates, as specified of Chhattisgarh Civil Services (special provision for appointment of woman) Rules, 1997.

(8) In that cases where some period of experience has been provisioned as necessary condition in filling by the direct recruitment and the Appointing Authority found that the sufficient candidates of Scheduled castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes will not available, the Appointing Authority shall be relaxed in condition of experience for candidates of Scheduled castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(9) Reservation for physically handicapped persons shall be in forced, as orders issued by General Administrative Department from time to time.

Provided that total number of vacancies reserved for candidates belonging to the scheduled castes, scheduled Tribes and other backward classes (including the vacancies carried forward) shall not at any time 50 percent of the total vacancies advertised.

12. **List of candidates recommended by the Selection Committee**:-(1) The Committee shall forward to the Appointing Authority a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standard as the Committee may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that standard, are declared by the committee to be suitable for appointments to the service with due regard to the maintenance of efficiency of Administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provision of these rules and of the Chhattisgarh Civil Service, (General conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such inquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. **Appointment by promotion.** (1) There shall be constituted a Committee consisting the members mentioned in schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) The reservation in promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Service (Promotion) Rules,2003. 16 percent, 20 percent and 14 percent of the available of the vacancies for promotion in such posts in which the percentage of promotion shall be reserved for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes respectively who are eligible for promotion in accordance with the provisions of rule 14.

(4) The procedure for making promotions for the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by General Administration Department from time to time.

14. **Conditions of Eligibility for promotion/transfer**.- (1) Subject to the provisions of the Sub-Rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year on the post/service or other post or posts, Appointing Authority has declared as their equivalent as specified in column (3) of Schedule-IV had completed such number of year of service in the post specified in column (4) of the Schedule – IV.

Explanation: (1) Provided further that any junior person shall not be considered for selection grade/promotion in preference to the person senior to him only on the basis of his completing the prescribed service.

(2) The field of selection shall ordinarily be limited to seven times the number of officers to be included in the select list, in respect of post to be filled on the basis of merit-cum-seniority and five times the number of officers to be included in the select list in respect of posts filled on the basis of seniority-cum-merit.

Provided that if the required number of suitable employees or not available in the field,so determined, the filled may be enlarged to the extent considered necessary by the committee by mentioning to the reasons in writing.

15. **Preparation of list of suitable officers**: –(1) The committee shall prepare a list of such persons as per the conditions prescribed in rule 14 abovc and are held by the committee to be suitable for promotion/transfer to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the selection list. A list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The list of eligible officers shall be prepared as per provision in Chhattisgarh Civil Service (Promotion) Rule, 2003.

(3) As per Chhattisgarh Civil Service (General conditions of service) Rule, 1961, the names of the officers included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or post as mentioned in the column (3) of Schedule-IV at the time of preparation of select list.

Explanation:- A person whose name is included in the select list, but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16.**Select list:-** (1) The Appointing Authority shall from the select list for Promotion of the members of service from the posts mentioned in column (3) of Schedule IV to the posts mentioned in column (5) of the Schedule-IV.

(2) The select list shall be valid till 31st December of calendar year, that year the select list for promotion will be prepared.

But, provided that in the event of a grave lapse in conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority, the Committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the Service from the select list.**-(1) Appointment of the officers included in list to posts borne on the cadre of the service in accordance with the Chhattisgarh Civil Service (promotion) Rule, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list, to the service, unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration work, which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Probation/Examine.** Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation/examine for a period of two years.

19. **Interpretation.** If any question arises in relation to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government, whose decision there on shall be final.

20.**Relaxation**. Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as appear to it to be just and equitable:

Provided that the case shall not be draft with in any manner less favourable by him than that provided in these rules.

21. **Saving:** Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by Government from time to time in this regard.

22. Repeal and saving.- All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement are here by repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RANU G. PILLAY, Secretary.

(See Rule - 5)
(Classification, Scale of Pay and No. of Post)

S.No.	Name of the post included in the Service	No. of posts	Classification	Scale of pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Field Office	65	Chhattisgarh Rural Industries (Sericulture Sector) Class - III (Non - Ministerial) service	5500-175-9000	
2	Senior Sericulture Inspector	42	--do--	4500-125-7000	
3	Junior Sericulture Inspector	60	--do--	4000-100-6000	
4	Demonstrator	38	--do--	3500-80-4700-100-5200	
5	Sr. Statistical. Assistant.	01	--do--	5000-150-8000	
6	Field Man	137	--do--	3050-75-3950-80-4590	
7	Asstt. Statistical. Officer	05	--do--	5500-175-9000	
8	Field Investigator	06	--do--	4500-125-7000	
9	Mechanic	01	--do--	3050-75-3950-80-4590	
10	Data Entry Operator.	02	--do--	3050-75-3950-80-4590	
11	Driver	14	--do--	3050-75-3950-80-4590	
12	Superintendent	01	Chhattishgarh Sericulture Class – III (Ministerial) service	5500-175-9000	
13	Asstt. Accounts Officer	01	--do--	5000-150-8000	Deputation from Directorate of Treasury & Accounts
14	Stenographer II	01	--do--	5500-175-9000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Asstt. Superintendent	06	--do--	4500-125-7000	
16	Asstt. Grade – I	02	--do--	4500-125-7000	
17	Accountant (Grade II)	01	--do--	4000-100-6000	
18	Asstt. Grade – II	30	--do--	4000-100-6000	6 Accountant grade-2 working against this post
19	Asstt. Grade – III	56	--do--	3050-75-3950-80-4590	
20	Stenographer III	02	--do--	4500-125-7000	
21	Stenotypist	01	--do--	3050-75-3950-80-4590 +125 P.P.	

SCHEDULE II

(See Rule - 6)
Method of Recruitment

Name of Department	Name of service	S.No.	Name of the post in the service	Total no. of posts	Percentage of No. of posts to be filled in			Re
					By direct recruitment	By promotion of the substantive members of the service	By transfer of persons from other service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Rural Industries Department	Directorate of Rural Industries (Sericulture Sector) Class –III (Non-Ministerial)	1	Field Officer	65	30%	70%	--	
--do--	--do--	2	Sr. Sericulture Inspector	42	--	100%	--	
--do--	--do--	3	Jr. Sericulture Inspector	60	70%	30%	--	
--do--	--do--	4	Demonstrator	38	--	100%	--	
--do--	--do--	5	Sr. Statistical Assistant	01	--	--	--	Sup
--do--	--do--	6	Field Man	137	30%	70%	--	
--do--	--do--	7	Asstt. Statistical Officer	05	--	100%	--	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
--do--	--do--	8	Field Investigator	06	100%	--	--	--
--do--	--do--	9	Data Entry Operator	02	100%	--	--	
--do--	--do--	10	Driver	14	100%	--	--	
--do--	--do--	11	Mechanic	01	--	--	---	Dieing cadre
--do--	Class –III (Ministerial)	12	Superintendent	01	--	100%	--	
--do--	-do-	13	Asstt. Account Officer	01	--	--	100%	
--do--	--do--	14	Asstt. Superintendent	06	--	100%	--	
--do--	--do--	15	Stenographer-II	01	--	100%	--	
--do--	--do--	16	Stenographer-III	02	50%	50%	---	
--do--	--do--	17	Stenotypist	01	100%	--	--	
--do--	--do--	18	Asstt. Grade-I	02	--	100%	--	
--do--	--do--	19	Accountant Grade- II	01	--	100%	--	
--do--	--do--	20	Asstt. Grade-II	30	--	100%	--	
--do--	--do--	21	Asstt. Grade-III	56	75%	25%	--	Those posts are fill up by those employees, who have completed candidate's service for five years and passed Higher Secondary/ 10+2 examination working in the Department under class IV.

SCHEDULE III
(See Rule 8)
(Age and Qualification for Direct Recruitment)

Name of Department	Name of Service	S.No.	Name of the post in the Service	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational Qualification prescribed	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Rural Industry Department	Directorate of Rural Industries Class –III (Non-Ministerial)	1	Field Officer	18 years	35 years	Degree in Biology Science/Agriculture Science (B.Sc. Biology /Agriculture) from recognised University.	
--do--	--do--	2	Jr. Sericulture Inspector	18 years	35 years	Degree in Biology Science/Agriculture Science (B.Sc. Biology /Agriculture) from recognised University	
--do--	--do--	3	Field Man	18 years	35 years	Higher Secondary or 10+2 High School Examination passed from recognised Board.	
--do--	--do--	4	Field Investigator	18 years	35 years	Degree with Statistics subject from recognised University	
--do--	--do--	5	Driver	18 years	35 years	8th Class passed & License for Heavy & Light Motor Vehicle.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
--do--	Class –III (Ministerial) service	6	.Asstt. Grade-III	18 years	35 years	Higher Secondary or 10+2 High School Examination passed and a certificate for Hindi typing examination passed from CG short hand & typing examination Board, or a certificate for Hindi typing examination passed from any recognised Institute of CG Govt. One year Diploma in computer application (data entry operating/programming)	
--do--	Class –III (Ministerial) service	7	Stenographer Grade-III	18 years	35 years	Higher Secondary or 10+2 High School Examination passed and a certificate for Hindi typing examination passed from CG short hand & typing examination Board, or a certificate for Hindi short hand and typing examination passed from any recognized Institute of CG Govt. One year Diploma in computer application (data entry operating/programming) .	
1	2	8	Stenotypist	18 years	35 years	Higher Secondary or 10+2 High School Examination passed and a certificate for Hindi typing examination passed from CG short hand & typing examination Board, or a certificate for Hindi short hand & typing examination passed from any recognized Institute of CG Govt. One year Diploma in computer application (data entry operating/programming) and 10000 key depression/hour capacity6	
--do--	--do--	9	Data Entry Operator	18 years	35 years	Higher Secondary or 10+2 High School Examination passed and one year Diploma in computer application (data entry operating/programming) and 8000 key depression/hour capacity.	

SCHEDULE –IV
(See Rule- 14 and 15)

Name of Department	S.No.	Service, Name of post from which promotion is to be made	Period for eligibility	Name of post to which promotion is to be made	Member of the Departmental Selection/Proı Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Department of Rural Industries	**Chhattisgarh Sericulture Class-III (Non-Ministerial) service**				
--do--	1	Senior Sericulture Inspector	5 years	Field Officer	(i) Joint Director Administration- (Sericul Chairman (ii) Deputy Director Administration (Sericul Member (iii) Deputy Director (Sericulture)- Member (iv) One representative of schedule caste/sch tribe/ other backward classes nominaı Director-Member
--do--	2	Junior Sericulture Inspector	5 years	Senior Sericulture Inspector	--do--
--do--	3	Demonstrator	5 years	Junior Sericulture Inspector	--do--
--do--	4	Field Man	5 years	Demonstrator	--do--
--do--	5	Field Investigator	5 years	Asstt. Statistical. Officer	--do--
--do--	6	Operative (Class IV)	5 years	Field Man	--do--
--do--	**Chhattisgarh Sericulture Class-III (Ministerial) service**				
--do--	7	Asstt. Superintendent/ Asstt. Grade-I	5 years	Superintendent	--do--
--do--	8	Accountant Grade --II	5 years	Asstt. Superintendent/ Asstt. Grade-I	--do--
--do--	9	Asstt. Grade-II	5 years	Accountant Grade-II	--do--
	10	Asstt. Grade-III	5 years	Assistant Grade-II	
--do--	11	Stenographer III	5 years	Stenographer II	--do--
--do--	12	Peon (Class-IV)	5 years	Assistant Grade-III	--do--
--do--	13	Stenotypist	5 years	Stenographer III	--do--

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 मार्च 2009

क्रमांक 05/क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के ख़ाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	मड़वा प.ह.नं. 41	0.058	कार्यपालन यंत्री (सिविल), निर्माण 2×500 मे.वा. मड़वा तेन्दूभांठा ताप विद्युत परियोजना, जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	मड़वा तेन्दूभांठा ताप विद्युत परियोजना के पहुंच मार्ग चौड़ी करण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 19 फरवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05 /अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर		औरीजोर प. ह. नं. 26	12.653	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	हल्दीमुण्डा व्यपवर्तन योजना के दायीं मुख्य नहर के चैन क्र. 497 से 604 तक के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकरी, जिला-जशपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

ज़शपुर, दिनांक 19 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर		तुबा प. ह. नं. 26	14.249	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	हल्दीमुण्डा व्यपवर्तन योजना के दायीं मुख्य नहर के चैन क्र. 678 से 689 तथा 713 से 900.50 तक के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकरी, जिला-जशपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 25 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	रूमगरा	0.48	अति. अधीक्षण यंत्री (सि.), छ. रा. वि. मं., कोरबा पूर्व.	हवाई पट्टी विस्तार हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 25 मार्च 2009

क्रमांक 2664/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-लक्ष्मणभरदा, प. ह. नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.025 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
50	0.056
51/2	0.120
52/4	0.008
52/3	0.016
52/1	0.089
54/2	0.128
74	0.108
72/3	0.020
93/2	0.144
72/4	0.028
72/2	0.056
89	0.060
73	0.020
91/2	0.008
91/1	0.136
99	0.240
98/1	0.060
93/1	0.112
93/4	0.080
93/3	0.120
94/4	0.008
94/1	0.052
62/4	0.024
62/5	0.040
62/3	0.084
62/6	0.048
62/2	0.080
72/5	0.024
90	0.060
12	0.040
15	0.080
191/2	0.640
53	0.040
14	0.012
72/1	0.060
87	0.016
67	0.028
51/1	0.040
62/7	0.024
63	0.016
योग 40	3.025

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरिया नाला बैराज लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 मार्च 2009

क्रमांक 2665/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-पाण्डुका, प. ह. नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.831 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
10/6	0.080
12/1	0.064
12/2	0.048
12/3	0.049
12/4	0.049
30	0.120
10/3	0.012
32/4	0.040
32/2	0.040
32/1	0.076
11	0.056
17/1	0.101
17/2	0.084
33/1	0.012
योग 14	0.831

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरिया नाला बैराज लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 मार्च 2009

क्रमांक 2666/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-जंतर, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.739 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
219	0.290
220/1	0.105
217/12	0.056
217/18	0.101
211/4	0.112
211/12	0.040
100/1, 2, 3, 4	0.072
105/13	0.065
105/16	0.008
106	0.148
105/14	0.081
105/2	0.112
93/1	0.120
93/2	0.168
291/4	0.101
291/5	0.160
योग 16	1.739

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरिया नाला बैराज लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 मार्च 2009

क्रमांक 2667/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि कीं अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-बरबसपुर, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.48 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
147/6	0.26
123/5	0.22
योग	0.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत पेंडरवानी माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 मार्च 2009

क्रमांक 2668/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-बसावर, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.76 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
191/4	0.14
183/1	0.50
183/2	0.20
182/3	0.25
182/2	0.30
182/1	0.60
174/1	0.70
174/6	0.14
174/2	0.08

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
174/4	0.12
173/1	0.58
170	0.70
169/1	0.15
169/10	0.17
168	0.78
140	0.40
139/4	0.20
139/3	0.20
139/2	0.20
138	0.35
योग 20	6.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज परियोजना वितरण नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 मार्च 2009

क्रमांक 2669/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-नादिया, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.64 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
172	0.34

(1)	(2)
173	0.64
174	0.02
190/1	0.20
185	0.65
190/2	0.28
190/3	0.20
175/4	0.62
178/4	0.62
335/1	0.23
336	0.27
500/1	0.12
338/8	0.08
338/9	0.08
338/10	0.08
338/11	0.08
340/1	0.27
341/1	0.51
390/11	0.02
390/6	0.08
379	0.13
378	0.11
380	0.06
381	0.05
382/1	0.03
382/2	0.05
385	0.07
384/2	0.05
498/1	0.13
499/2	0.13
500/2	0.12
500/3	0.12
505/2	0.09
505/3	0.09
507/1	0.23
507/2	0.20
515	0.17
509	0.22
511/2	0.50
514	0.17
523/1	0.12
524/1	0.08
526/7	0.08
526/8	0.03
528	0.10
529/2	0.12
योग 46	8.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज परियोजना वितरण नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 मार्च 2009

क्रमांक 2670/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-दल्लीखोली, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.42 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
3	2.40
23	0.18
5	0.70
7/2	0.58
7/3	0.56
योग	4.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-प्रधानपाठ बैराज योजना अंतर्गत डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 27 मार्च 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 01/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-भोयनापार, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.31 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	588/2	0.10
	599	0.07
	590	0.02
	600	0.12
योग	4	0.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- परसाही माइनर के अन्तर्गत भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2009

क्रमांक/क./वा./भू-अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 08/अ-82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खण्डवा, प. ह. नं. 139/18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.95 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	172/1	0.19
	~~621~~	~~0.11~~
	638	0.24
	643	1.41
योग	4	1.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नई राजधानी योजनांतर्गत थीम टाऊन शीप+गोल्फ कोर्स निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 19th March 2009

No. 2170/JOTI/1st Part Ind./2008 (2nd Batch)/09.—The following newly appointed Civil Judges Class-II as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report in the Judicial Officer's Training Institute, (JOTI), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur on 23-03-2009 by 4.00 P. M. for undergoing the first Part of Institutional Training Programme Scheduled to be held from 24th March, 2009 to 22nd April, 2009 :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Achchhey Lal Kachhi	II Civil Judge Class-II, Ambikapur
2.	Ku. Smita Ratnawat	I Civil Judge Class-II, Raipur
3.	Shri Amit Rathour	I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
4.	Shri Sumit Kapoor	II Civil Judge Class-II, Raigarh
5.	Shri Krishnpal Singh Bhaduria	Civil Judge Class-II, Korba
6.	Shri Om Prakash Jaiswal	III Civil Judge Class-II, Jagdalpur
7.	Shri Balram Prasad Verma	V Civil Judge Class-II, Jagdalpur
8.	Shri Santosh Kumar Mahobiya	V Civil Judge Class-II, Ambikapur
9.	Ku. Mona Sonwani	II Civil Judge Class-II, Bilaspur
10.	Ku. Vandana Verma	VII Civil Judge Class-II, Bilaspur
11.	Shri Santosh Thakur	I Civil Judge Class-II, Durg
12.	Shri Narendra Kumar	X Civil Judge Class-II, Bilaspur
13.	Ku. Monika Jaiswal	III Civil Judge Class-II, Raipur
14.	Shri Deepak Kumar Koshle	I Civil Judge Class-II, Bemetara
15.	Shri Damarudhar Chouhan	XIV Civil Judge Class-II, Raipur
16.	Shri Roop Narayan Pathare	II Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
17.	Shri Pankaj Alok Tirkey	XV Civil Judge Class-II, Raipur
18.	Shri Anil Kumar Pandey	II Civil Judge Class-II, Mahasamund
19.	Shri Ashok Kumar Lal	X Civil Judge Class-II, Durg
20.	Shri Jitendra Kumar Singh	XVI Civil Judge Class-II, Raipur

(1)	(2)	(3)
21.	Ku. Rashmi Mandavi	XI Civil Judge Class-II, Durg
22.	Ku. Yashoda Kashyap	XII Civil Judge Class-II, Durg
23.	Ku. Kiran Shukla	V Civil Judge Class-II, Bilaspur
24.	Shri Awadh Kishore	I Civil Judge Class-II, Ambikapur
25.	Shri Sanjay Agarwal	IV Civil Judge Class-II, Jagdalpur
26.	Shri Avinash Kumar Tripathi	V Civil Judge Class-II, Raipur
27.	Smt. Shyamwati Maravi	V Civil Judge Class-II, Durg
28.	Smt. Sushma Lakra	IX Civil Judge Class-II, Durg
29.	Shri Anil Prabhat Minj	Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Jashpur.
30.	Shri Ajay Kumar Xaxa	Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Kawardha.
31.	Shri Digvijay Singh	VI Civil Judge Class-II, Jagdalpur
32.	Shri Agam Kumar Kashyap	V Civil Judge Class II, Jagdalpur
33.	Shri Shriniwas Tiwari	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Bilaspur.
34.	Shri Mohan Singh Korram	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.

The abovementioned Trainee Judges are also directed to abserve the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court During the training and to bring with them the following books :—

(A) Code of Civil Procedure
(B) Code of Criminal Procedure
(C) Evidence Act
(D) Limitation Act
(E) Indian Penal Code
(F) Rules & Orders-Civil & Criminal
(G) Stamp & Court Fees Act
(H) Arms Act
(I) C. G. Excise Act
(J) Legal Services Authority Act, 1987 (with C. G. Rules)

Bilaspur, the 23rd March 2009

No. 138/Confdl./2009/II-2-1/2009.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Chhabilal Patel, District & Sessions Judge.	Korba	Ambikapur	Surguja	District & Sessions Judge vice Shri Surendra Tiwari.

Bilaspur, the 23rd March 2009

No. 140/Confdl./2009/II-3-1/2009.—The following Civil Judge Class-I as specified in Column No. (2) is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) of the table below from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Santosh Kumar Aditya II Civil Judge Class-I.	Ambikapur	Ramanujganj	Surguja	Civil Judge Class-I in the vacant court.

By order of the Hon'ble High Court,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 21st January 2009

No. 60/L. G./2009/II-2-4/2003.—Shri D. K. Tiwari, District & Sessions Judge, Uttar Bastar (Kanker) is hereby, granted earned leave for 16 days from 16-01-2009 to 31-01-2009 and permission to suffix holiday of 01-02-2009 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 239 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 21st January 2009

No. 61/L. G./2009/II-2-34/2002.—Shri T. C. Yadu, Judge, Family Court, Raigarh is hereby, granted earned leave for 13 days from 16-02-2009 to 28-02-2009 and permission to prefix holidays of 14th & 15th February, 2009 and suffix holiday of 01-03-2009 along with the permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Yadu, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 237+02 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th January 2009

No. 67/L. G./2009/II-2-15/2004.—Shri Alok Jha, District & Sessions Judge, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 07 days from 11-02-2009 to 17-02-2009 along with the permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jha, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 240+08 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th January 2009

No. 68/L. G./2009/II-2-9/2005.—Smt. Anita Jha, Jadge, Family Court, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 07 days from 11-02-2009 to 17-02-2009 along with the permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Jha, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 240+08 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 16th February 2009

No. 75/L. G./2009/II-2-8/2004.—Shri P. K. Shrivastava, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara) is hereby, granted earned leave for 09 days from 16-02-2009 to 24-02-2009 and permission to prefix holidays of 14-02-2009 & 15-02-2009 along with permission to leave headquarters from 14-02-2009 to 24-02-2009 and permission to come to Bilaspur on 17-02-2009.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 240+11 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 18th March 2009

No. 83/L. G./2009/II-2-8/2004.—Shri P. K. Shrivastava, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara) is hereby, granted earned leave for 06 days from 23-03-2009 to 28-03-2009 & permission to prefix holidays from 21-03-2009 to 22-03-2009 and suffix holiday of 29-03-2009 along with permission to leave headquarters from 21-03-2009 to 29-03-2009.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 240+05 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 24th March 2009

No. 84/L. G./2009/II-2-11/2004.—Shri I. S. Uboweja, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 08 days from 01-05-2009 to 08-05-2009 and permission to suffix holidays of 09-05-2009 & 10-05-2009 along with permission to remain out of headquarters from 01-05-2009 to 10-05-2009.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Uboweja, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 240+03 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
GANPAT RAO, Additional Registrar.

ELECTION PETITION No.17/2004
(Raja Ram Todem Vs. Rajendra Pambhoi)

No. 3029/D. A./E. P. 17/04 Bilaspur, the 28th February 2009

Raja Ram Todem S/o Lingaiya, Aged about 45 years Resident of Gotaiguda, Tahsil Bhopalpatnam, Distt. Dantewara (C. G.) .... **Petitioner**

Versus

Rajendra Pambhoi S/o Shri Bakaiya Raj Pambhoi, Aged about 50 years, Resident of Bhopalpattanam, Tah. Bhopalpattanam, Distt. Dantewada (C. G.) ...... **Respondent**

To,

Rajendra Pambhoi S/o Shri Bakaiya Raj Pambhoi,
Aged about 50 years, Resident of Bhopalpattanam,
Tah. Bhopalpattanam, Distt. Dantewada (C. G.)......

Subject : Notice of withdrawal of Election Petition.

Please take notice that on Shri Raja Ram Todem has filed an Election Petition u/s 80/A of Representation of People Act, 1951 for declaring the Election of Respondent as null and void.

On 18-02-2009, counsel for petitioner has filed an application (I. A. No. 2) for withdrawal of Election petition. The said application is fixed for hearing before the Hon'ble Court on 20-03-2009.

Given under my hand and seal of this Court this TWENTY FOURTH DAY OF FEBRUARY TWO THOUSAND NINE.

By order of the High Court,
N. D. TIGALA, Additional Registrar (J).

बिलासपुर, दिनांक 16 फरवरी 2009

क्रमांक 30/दो-2-78/2001.—श्रीमति शकुन्तला दास, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग दिनांक 31-08-2006 की अपरान्ह में अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2009

क्रमांक 33/दो-2-22/2003.—श्रीमति निर्मला सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायपुर दिनांक 31-07-2007 की अपरान्ह में अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 79 (उन्यासी) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 3 मार्च 2009

क्रमांक 37/दो-2-5/2006.—श्री अनुज राम ध्रुव, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), दुर्ग दिनांक 30-09-2006 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 229 (दो सौ उन्तीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 16 मार्च 2009

क्रमांक 41/दो-2-24/2003.—श्री हीराराम गुरूपंच, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, अम्बिकापुर (छ. ग.) दिनांक 11-11-2008 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 136 (एक सौ छत्तीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 17 मार्च 2009

क्रमांक 42/दो-2-19/2001.—श्री गिरीश चन्द्र बाजपेयी, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जांजगीर-चांपा दिनांक 03-01-2008 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 206 (दो सौ छ:) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 19 मार्च 2009

क्रमांक 46/दो-2-19/2004.—श्री महेन्द्र कुमार तिवारी, निदेशक, न्यायिक अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, बिलासपुर दिनांक 28-02-2007 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 159 (एक सौ उनसठ) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.

निर्वाचन आयोग भारत की अधिसूचनाएं

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2009

क्र. 01/चार/लो. स. चु./2009/1376.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली का निदेश संख्या 576/3/ई. वी. एम./2009/एस. डी. आर., दिनांक 27 मार्च, 2009 का राज्य के शासकीय राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 27 मार्च 2009

निदेश

संख्या 576/3/ई. वी. एम./2009/एस. डी. आर.—यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61 क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से दिए और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करें ; तथा

2. यतः आयोग ने लोक सभा, 2009 के चालू साधारण निर्वाचन में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक की परिस्थितियों पर विचार किया है और संतुष्ट है कि इन 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है और मतदान कार्मिक इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों को दक्षता पूर्वक संचालन में भली प्रकार प्रशिक्षित हैं और मतदाता भी इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों की कार्य प्रणाली से पूर्णरूप से परिचित हैं.

3. अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा लोक सभा, 2009 के चालू साधारण निर्वाचनों में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जहां 23 मार्च, 2009, 28 मार्च 2009, 2 अप्रैल, 2009, 11 अप्रैल, 2009 और 17 अप्रैल 2009 को अधिसूचित/अधिसूचित किए जाने वाले लोक सभा के चालू साधारण निर्वाचनों में निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के अधीन निर्धारित रीति से इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले और रिकार्ड किए जाएंगे. जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक आदेश जारी किए जाते हैं.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. एफ. विल्फ्रेड)
सचिव.

---

4. जहां तक मतों की गिनती का संबंध है, आपका ध्यान निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 50 से 54 क, 60 से 66क और 55 ग से 57ग के उपबंधों और रिटर्निंग आफिसरों की पुस्तिका, 2004 (जहां पर इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया जाता है) के अध्याय 14 में निहित मतों की गिनती से संबंधित आयोग के विस्तृत अनुदेशों की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है. रिटर्निंग आफिसरों को उक्त निदेशों और अनुदेशों का निष्ठा से पालन करने का अनुदेश दिया जाना चाहिए.

5. कृपया प्राप्ति सूचना भेज दें.

भवदीय,

हस्ता./-
(एस. आर. कार)
अवर सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 27th March 2009

DIRECTION

No. 576/3/EVM/2009/SDR.—Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951 provides that the giving and recording of votes by voting machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. Whereas, the Commission has considered the circumstances in each of the 543 Parliamentary Constituencies at the current General Election to the House of the People 2009, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in these 543 Parliamentary Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;

3. Now, therefore, the Election Commission of India hereby specifies each of the 543 Parliamentary Constituencies at the current General Election to the House of the People 2009 as the constitutencies in which the votes at the current general election to the house of the People notified/to be notified on 23rd March 2009, 28th March 2009, 2nd April, 2009, 11th April, 2009 and 17th April, 2009, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines, in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

By Order,

Sd/-
(K. F. WILFRED)
Secretary.